

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-3/जांच) विभाग

क्रमांक प. 1(014)कार्मिक/क-3/जॉच/2018

जयपुर, दिनांक

आदेश

डॉ. पी.सी. यादव, प्रमुख विशेषज्ञ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रशासनिक विभाग ने उनके आदेश क्रमांक प. 1(1)विस्वा/2/2017, दिनांक 04.9.2017 द्वारा निलम्बित किया गया।

राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन के प्रकरणों में पुनरावलोकन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति को बैठक दिनांक 21.05.2018 में डॉ. पी.सी. यादव, प्रमुख विशेषज्ञ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निलम्बन आदेश की पुष्टि कर निलम्बन से बहाल किये जाने की अभिशंघा के साथ उगका पदस्थान अन्यत्र जिले में करन के निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः राज्य सरकार द्वारा डॉ. पी.सी. यादव, प्रमुख विशेषज्ञ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को उनके विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जांच को प्रभावित किये बिना राज्य सरकार द्वारा निलम्बन आदेश को पुष्टि करते हुए निलम्बन से बहाल किये जाने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है।

डॉ. पी.सी. यादव, प्रमुख विशेषज्ञ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निलम्बन अवधि का निरागतीकरण इनके विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जांच कार्यवाही में अंतिम निर्णय होने पर किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(विवेक कुमार)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, (वीएस), माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके वारंकोड क्रमांक एफ. 18001941, दिनांक 06.06.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने की व्यवस्था करावें।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
5. अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, (क-3/निरीक्षण) विभाग। 10( )2018
7. डॉ. पी.सी. यादव, प्रमुख विशेषज्ञ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा:- शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

(बालकृष्ण सक्सैना)  
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-3/शिका)विभाग, राज0 जयपुर को उनके आदेश क्रमांक प.1(014)का/क-3/जांच/2018 दिनांक 27.06.2018 के कम में।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
5. राजपत्रित संस्थापन/एटी/डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।
7. डॉ0 पी.सी. यादव, तत्का0 प्रमुख विशेषज्ञ हाल निलम्बित मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी उपस्थिति एटी सैल, राजपत्रित अनुभाग को प्रस्तुत करें।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को सम्बन्धित विभाग की वेबवाइंट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

R.W.

अति0 निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।